



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022020-216340  
CG-DL-E-24022020-216340

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 78]  
No. 78]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 21, 2020/फाल्गुन 2, 1941  
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 21, 2020/PHALGUNA 2, 1941

## पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2020

फा. सं. पीएनजीआरबी/एम/(सी)/62/2020.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2010 में और संशोधन करके एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :-

1. इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2020 कहा जाएगा।
2. वे दिनांक 1 जनवरी, 2020 से लागू होंगे।
3. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का निर्धारण) विनियम, 2010 में, -

(क) विनियम 4 में सप्तम परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक रख दिया जाएगा, नामतः :-

“बशर्ते संक्रमणकालीन 31.12.2019 तक की विस्तारित संक्रमण अवधि पूर्ण होने के पश्चात 31.3.2020 तक की अवधि के लिए बढ़ाया जाए।”;

(ख) विनियम 5 में षष्ठम परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक रख दिया जाएगा, नामतः :-

“बशर्ते इस विनियम के अंतर्गत पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ निर्धारण के लिए भी रेलवे की माल टैरिफ तालिका के अनुसार बेंचमार्क किया जाएगा जैसा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ निर्धारण) संशोधन विनियम, 2020 के प्रवृत्त होने की तारीख से लागू होगा जोकि संक्रमण अवधि के दौरान अवरुद्ध रहेगा और यदि आगे विस्तारित संक्रमण अवधि में रेलवे की माल टैरिफ तालिका में संशोधन होता है तो बोर्ड विचार कर सकता है तथा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद परिवहन बेंचमार्क पर निर्णय ले सकता है।”

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./465/19]

**पाद टिप्पणी :** मुख्य विनियम सा.का.नि. 987(अ), दिनांक 20.12.2010 को अधिसूचित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना सं. फा.सं. पीएनजीआरबी/ एम(सी)/62/2012, दिनांक 13.12.2012, फा.सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2014, दिनांक 16.12.2014, फा. सं. पीएनजीआर बी/एम(सी)/62/2014, दिनांक 15.12.2016, फा.सं. पीएनजीआरबी/ एम(सी)/62/2014, दिनांक 15.12.2017, फा. सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2018, दिनांक 18.12.2018 और फा. सं. पीएनजीआरबी/एम (सी)/ 62/2019, दिनांक 18.12.2019 के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

**PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th February, 2020

**F. No. PNGRB/M(C)/62/2020.**—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Board hereby makes the following regulations further to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulations, 2010, namely :-

1. These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulations, 2020.
2. They shall come into force on 01<sup>st</sup> January 2020.
3. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Regulations, 2010, -

(a) in regulation 4, after the seventh proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided also that the transitional period may, after the completion of the extended transition period till 31.12.2019, be further extended up to 31.03.2020”;

(b) in regulation 5, after the sixth proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided also that the determination of the petroleum and petroleum product pipeline transportation tariff under this regulation shall be benchmarked against the goods tariff table of the railways as applicable on the date of the coming into force of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulations, 2020 and if the goods tariff table of the railways is revised during the further extended period of transition, the Board may consider the benchmarking of the petroleum and petroleum products transportation tariff against such revision.”.

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./465/19]

**Foot Note :** The Principal regulations were notified *vide* GSR 987(E), dated 20-12-2010 and subsequently amended *vide* notifications No. F. No. PNGRB/M(C)/62/2012, dated 13.12.2012, F. No. PNGRB/M(C)/62/2014, dated 16.12.2014, F. No. PNGRB/M(C)/62/2014, dated 15.12.2016, F. No. PNGRB/M(C)/62/2014, dated 15.12.2017, F. No. PNGRB/M(C)/62/2018, dated 18.12.2018 and F. No. PNGRB/M(C)/62/2019, dated 18.04.2019.